

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग

क्रमांकप.6(1)प्र.सु./अनु.-3/2020-4030

जयपुर, दिनांक

:: आदेश ::

नवीन निजी नर्सिंग स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय की स्थापना एवं सीट अभिवृद्धि का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने तथा एनओसी नवीनीकरण के लिये आवेदन में प्रस्तुत दस्तावेजों व संबंधित स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय का मौका निरीक्षण भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा जारी अद्यतन गाईडलाईन एवं विभाग द्वारा दिनांक 15.10.2024 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किए जाने हेतु जिला स्तरीय निरीक्षण समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम	पद
1.	जिला कलेक्टर अथवा नामित प्रतिनिधि जो अति. जिला कलेक्टर स्तर का हो	अध्यक्ष
2.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	समन्वयक
3.	संबंधित तहसीलदार	सदस्य
4.	सार्वजनिक निर्माण विभाग का अधिकारी/प्रतिनिधि जो अधिशाषी अभियंता स्तर से कम ना हो	सदस्य
5.	संबंधित नगर निकाय का प्रतिनिधि	सदस्य
6.	आरएनसी द्वारा नामित 02 नर्सिंग ट्यूटर	सदस्य

समिति का प्रशासनिक विभाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग होगा। समिति का कार्यकाल स्थाई रहेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(शैफाली कुशवाह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. अति. मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
8. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।

Signature valid

शासन उप सचिव

Digitally signed by Shivali Kushwaha

Designation : Deputy Secretary To

Government

Date: 2024.11.06 15:32:45 IST

Reason: Approved

कार्यालय का पता- कमरा नं. 220

फोन नं. 0141-2923632, 2923633 ई-मेल आई

